

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... नि०/राज्य/रोजगार ऋण-03-37/17

पटना दिनांक:

संशोधित स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्मोहित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2016-2017 अन्तर्गत पटना जिला के चयनित ऋणार्थी के लिए पर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-1217 दिनांक-19-09-2019 से सम्बन्धित ऋणार्थी के नाम के सामने पूर्व समर्पित बैंक खाता के बदले नया बैंक खाता में ऋण राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात इनके द्वारा समर्पित किये गये कोटेशन के आधार पर सामग्री आपूर्तिकर्ता के बैंक खाता में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने की अनुमति दी जाती है :-

Sl. No	पत्र सं-सं	Appl_Name / F/H_Name & Address	Supplier Name & Address With Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	8/225	IMRANUL HODA, S/o- ZEYAU HODA, Vill.-SABALPUR, Block-PATNA SADAR, PS-DIDAR GANJ, PO- SABALPUR, Distt.- PATNA-800009	Supplier – Sri Sanwaria Traders, Chimni Ghat, Jhauganj, Patna City -8 Bank Name:- ICICI BANK , A/c No.:- 23830500360, IFSC Code:- ICIC0002383 Mobile No – 9334116152, 0612-2642837	IRON GRILL GATE	200000	1000	199000
TOTAL					2,00,000	1,000	1,99,000

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए । किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या-1217 दिनांक-19-09-2019 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेगा ।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:-----

ज्ञापांक:-----

प्रतिलिपि:-इमरानुल होदा, पिता- जेयाउल होदा, ग्राम + पो०-सबलपुर फतहा, थाना-दीदारगंज, पटना-800009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


ह०/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 8/9/2020

ज्ञापांक:- 436

प्रतिलिपि:-जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पटना / सभी ऋणधारकों/ ऋण शाखा / ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संशोधित स्वीकृत्यादेश के अनुसार अभिलेख में अंकित कर उसके साथ PDC एवं पास बुक की प्रति रक्षित करना सुनिश्चित करें ।


प्रबंध निदेशक